आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

हरसीमरन सिंह सेठी के सम्मुख, जे.

यशवंत-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादीगण सीडब्ल्यूपी-26333-2016

30 सितंबर, 2019

पंजाब सिविल नियम (हरियाणा पर लागू) नियम 4.19 (बी)-एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में जे. बी. टी. शिक्षक के रूप में काम करने वाली याचिकाकर्ता ने उसी राज्य के तहत सरकारी बालिका प्राथमिक विद्यालय में जे. बी. टी. शिक्षक के रूप में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया और अपनी सेवानिवृत्ति तक वहां काम किया।इस्तीफा देना उनकी पिछली सेवा को छोड़ने के बराबर नहीं होगा।याचिकाकर्ता सरकारी माध्यमिक विद्यालय में उसके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के लाभ का हकदार है।याचिका की अनुमति दी गई।

माना जाता है कि पंजाब सिविल सेवा नियमों (जैसा कि हरियाणा में लागू होता है) के तहत, नियम 4.19 (बी) उस सेवा की अनुमति देता है, जो एक कर्मचारी ने प्रदान की है, अगर किसी अन्य नियुक्ति में शामिल होने के लिए इस्तीफा दिया गया है।उपर्युक्त प्रासंगिक नियम 4.19 (बी) निम्नानुसार हैः-

"उचित अनुमति के साथ किसी अन्य नियुक्ति, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी सेवा, जिसमें पूर्ण या आंशिक रूप से गणना की जाती है, लेने के लिए नियुक्ति का त्यागपत्र लोक सेवा का त्यागपत्र नहीं है।

ऐसे मामलों में जहां दो नियुक्तियों के अलग-अलग स्टेशनों पर होने के कारण सेवा में व्यवधान अपरिहार्य है, ऐसे व्यवधान, जो स्थानांतरण पर नियमों के तहत अनुमेय ज्वाइनिंग समय से अधिक नहीं हैं, राहत की तारीख को सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी या नियम 4.23 के तहत औपचारिक माफी द्वारा कवर किए जाएंगे, जिस हद तक अवधि सरकारी कर्मचारी को छुट्टी द्वारा कवर नहीं की गई है।"

(पैरा 7)

अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादीगण द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है कि जब याचिकाकर्ता सरकारी माध्यमिक विद्यालय, दरबा कलां, सिरसा में जे. बी. टी. शिक्षक के रूप में काम कर रही थी, तो उसने सरकारी बालिका प्राथमिक विद्यालय, किला जफर गढ़, जींद में जे. बी. टी. शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था, जहां वह अंततः चुनी गई थी।एक बार, याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के तहत एक पद में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया, जिसे उसे करने की अनुमति दी गई थी ।

यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने इस्तीफा दे दिया और नौकरी छोड़ दी।इस्तीफे को उसी विभाग में उसी सरकार के तहत किसी अन्य नौकरी में शामिल होने के लिए दिए गए तकनीकी इस्तीफे के रूप में माना जाना चाहिए।इसलिए, याचिकाकर्ता का मामला उपरोक्त नियम 4.19 (बी) के दायरे में आएगा।

(पैरा 8)

सुरिंदर गौर, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

चरणजीत सिंह बख्शी, ए. ए. जी., हरियाणा।

हरसिम्रन सिंह सेठी, जे. ओरल

(1) वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि सरकारी माध्यमिक विद्यालय, दरबा कलां, सिरसा में जे. बी. टी. शिक्षक के रूप में 11-02-1992 **से** 3-7-1996 **तक** उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को पेंशन लाभों की गणना के लिए योग्यता सेवा के रूप में गिना जाए।

(2) रिट याचिका में बताए गए तथ्यों में कहा गया है कि **पत्र** क्रमांक दिनांक 10—02—1992 ¼अनुलग्नक पी—1 ½ याचिकाकर्ता को सरकारी माध्यमिक विद्यालय, दरबा कलां, सिरसा में जे. बी. टी. शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।इस तरह काम करते हुए, याचिकाकर्ता ने 03.07.1996 को इस्तीफा दे दिया ताकि वह सरकारी बालिका प्राथमिक विद्यालय, किला जफर गढ़, जींद में जे. बी. टी. शिक्षक के रूप में शामिल हो सके।उन्होंने वहाँ काम करना जारी रखा जब तक कि वे 31.11.2015 पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त नहीं हो गईं।सेवानिवृत्ति के बाद, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादीगण से उस अवधि को ध्यान में रखने का अनुरोध किया जब उन्होंने सरकारी माध्यमिक विद्यालय, दरबा कलां, सिरसा में जे. बी. टी. शिक्षक के रूप में 11.02.1992 से 03.07.1996 तक पेंशन लाभों की गणना के लिए योग्यता सेवा के रूप में काम किया था।चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दावे पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता ने उपरोक्त लाभों का दावा करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

(3) प्रस्ताव की सूचना पर, प्रतिवादीगण ने जवाब दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बार जब याचिकाकर्ता ने अपने पहले के पद से इस्तीफा दे दिया था, जहां उन्होंने 11.02.1992 से 03.07.1996 तक काम किया था, तो उक्त सेवा का लाभ नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इस्तीफे से पिछली सभी सेवाएँ समाप्त हो जाएंगी।जवाब का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैः-

"5. याचिका के पैरा संख्या 5 की सामग्री इस बात पर विवाद में नहीं है कि उन्हें जे. बी. टी. के रूप में नई नियुक्ति दी गई थी, दिनांकित पत्र 1.7.1996 के माध्यम से और वह उसी के अनुसरण में 9.7.1996 पर शामिल हुई थी।उनकी दूसरी नियुक्ति काफी अलग और विशिष्ट है और उन्होंने उचित चैनल के माध्यम से नई नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया था।

उन्होंने अपनी पहली सेवा से इस्तीफा दे दिया था।अगर उनकी सेवा जारी रहती तो उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था।उनकी पिछली सेवा समाप्त हो गई है और जब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था और वह अपने नियुक्ति पत्र दिनांक1-7-1996 के नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हुए नए सिरे से शामिल हुई थीं।

6. कि याचिका के पैरा सं. 6 की सामग्री अभिलेख की बात है, लेकिन यहां यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने उचित माध्यम से नई नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया है।उनकी पिछली सेवा तब समाप्त हो गई जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और वह दिनांकित नियुक्ति पत्र 1.7.1996 के अनुसरण में 9.7.1996 पर फिर से शामिल हो गई हैं, जैसे कि याचिकाकर्ता वरिष्ठता, वृद्धि और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पिछली सेवा प्राप्त करने का हकदार नहीं है जैसा कि इस विलंबित चरण में उनके द्वारा दावा किया जा रहा है।

7. XXXXXX

8. कि याचिका के पैरा सं. 8 की सामग्री गलत है, इसलिए अस्वीकार कर दिया गया।याचिकाकर्ता अपनी नई सेवा के लिए 11.2.1992 से 3.7.1996 की अवधि के लिए अपनी सेवा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। उसे उसकी पिछली सेवा का लाभ नहीं दिया जा सकता है।उन्होंने अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया था और नए नियुक्त व्यक्ति के रूप में शामिल हुई थीं।याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय के साथ दिनांकित 5.8.2016 अभ्यावेदन जमा करने की कोई पावती संलग्न नहीं की है।"

(4) मैंने पक्षों के लिए विद्वान परामर्श सुना है और उनकी सक्षम सहायता के साथ रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(5) वर्तमान रिट याचिका में एकमात्र सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता पेंशन लाभों की गणना के लिए योग्यता सेवा के रूप में 11.02.1992 से 03.07.1996 तक उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा को गिनने का हकदार है या नहीं।

(6) यह प्रतिवादीगण का मामला नहीं है कि उस याचिकाकर्ता ने 11.02.1992 से 03.07.1996 तक पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया।प्रतिवादीगण द्वारा की गई एकमात्र आपत्ति यह है कि याचिकाकर्ता ने पहले के पद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे से पिछली सभी सेवाएँ जब्त हो जाती हैं और इसलिए, वह पेंशन लाभों के अनुदान के लिए एक योग्य सेवा के रूप में उक्त सेवा की गणना करने के लाभ की हकदार नहीं है।

(7) पंजाब सिविल सेवा नियमों (जैसा कि हरियाणा में लागू होता है) के तहत, नियम 4.19 (बी) उस सेवा की अनुमति देता है, जो एक कर्मचारी ने प्रदान की है, अगर किसी अन्य नियुक्ति में शामिल होने के लिए इस्तीफा दिया गया है।उपर्युक्त प्रासंगिक नियम 4.19 (बी) निम्नानुसार हैः-

"उचित अनुमति के साथ, एक और नियुक्ति, चाहे स्थायी हो या अस्थायी, लेने के लिए नियुक्ति का इस्तीफा, जिसमें पूर्ण या आंशिक रूप से गणना की जाती है, लोक सेवा का इस्तीफा नहीं है।

ऐसे मामलों में जहां दो नियुक्तियों के अलग-अलग स्टेशनों पर होने के कारण सेवा में व्यवधान अपरिहार्य है, ऐसे व्यवधान, जो स्थानांतरण पर नियमों के तहत अनुमेय ज्वाइनिंग समय से अधिक नहीं हैं, राहत की तारीख को सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी या नियम 4.23 के तहत औपचारिक माफी द्वारा कवर किए जाएंगे, जिस हद तक अवधि सरकारी कर्मचारी को छुट्टी द्वारा कवर नहीं की गई है।"

(8) प्रतिवादीगण द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है कि जब याचिकाकर्ता सरकारी माध्यमिक विद्यालय, दरबा कलां, सिरसा में जे. बी. टी. शिक्षक के रूप में काम कर रही थी, तो उसने सरकारी बालिका प्राथमिक विद्यालय, किला जफर गढ़, जींद में जे. बी. टी. शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था, जहां उसे अंततः चुना गया था।एक बार जब याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के तहत एक पद में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया, जिसे उसे करने की अनुमति दी गई थी, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने इस्तीफा दे दिया और नौकरी छोड़ दी।इस्तीफे को उसी विभाग में उसी सरकार के तहत किसी अन्य नौकरी में शामिल होने के लिए दिए गए तकनीकी इस्तीफे के रूप में माना जाना चाहिए।इसलिए, याचिकाकर्ता का मामला उपरोक्त नियम 4.19 (बी) के दायरे में आएगा।

(9) इसके अलावा, इस न्यायालय ने 2011 के सी. डब्ल्यू. पी. No.8398 में शीर्षक दिया ' ईश्वर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, पर निर्णय लिया 03.09.2015 , कानून के कुछ समान प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला।ईश्वर सिंह के मामले (ऊपर) में, पिछली सेवा को इस आधार पर नहीं गिना जा रहा था कि सेवा दो अलग-अलग विभागों में प्रदान की गई थी और उसमें याचिकाकर्ता, शिक्षा विभाग में आवेदन करते समय, जिला और सत्र न्यायाधीश, जहां याचिकाकर्ता-ईश्वर सिंह काम कर रहे थे, की अनुमति नहीं ली गई थी और इसलिए, जिला और सत्र न्यायाधीश, रोहतक के साथ प्रदान की गई सेवा के लाभों को पेंशन लाभों की गणना के लिए एक योग्यता सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है।इस न्यायालय ने उक्त आपत्तियों को खारिज कर दिया और कहा कि एक बार एक कर्मचारी उसी राज्य में काम कर रहा था और उसने वास्तव में अन्य पद में शामिल होने के लिए एक ही राज्य के तहत इस्तीफा दे दिया था

लेकिन एक अलग विभाग में, पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 4.19 (बी) के तहत लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता है और उक्त इस्तीफे को इस्तीफे के रूप में नहीं माना जा सकता है जो पिछली सेवा को खो देता है।उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

4.) दूसरे शब्दों में, वे याचिकाकर्ता के दावे का विरोध नहीं कर रहे हैं।तथ्य निर्विवाद हैं कि याचिकाकर्ता ने 12.9.1981 से 15.1.1987 तक की अवधि के लिए न्यायिक विभाग में सेवा प्रदान की।इस मोड़ पर, राज्य का वकील यह तर्क नहीं दे सकता है कि शिक्षा विभाग में एसएस मास्टर के पद पर याचिकाकर्ता का चयन और नियुक्ति उचित माध्यम से नहीं है और इसलिए जिला और सत्र न्यायाधीश, रोहतक की अनुमति के बिना भी है।वह भी तब जब रोहतक के जिला और सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त दलीलों पर विवाद नहीं किया है।जहाँ तक राज्य के विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, इसलिए वह सेवा को गिनने का हकदार नहीं है, इस संबंध में राज्य के वकील ने किसी ऐसे प्रावधान की ओर इशारा नहीं किया है जो किसी अन्य विभाग में दी गई पिछली सेवा को गिनने से रोकता है।राज्य के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने 15.01.1987 पर सहायक अहलमद के पद से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए, पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड-II के नियम 3.17 (बी) के तहत, याचिकाकर्ता द्वारा न्यायिक विभाग में दी गई सेवा को गिना नहीं जा सकता है।नियम 3.17 (बी) केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित है जबकि याचिकाकर्ता यहां केंद्र सरकार में काम नहीं कर रहा था।इसके विपरीत, वह न्यायिक विभाग में काम कर रहे थे जो राज्य सरकार के विभागों में से एक है।इसलिए, नियम 3.17 (बी) याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होता है।

5.) पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड-II का नियम 4.19 (बी) इस प्रकार हैः-

“उचित अनुमति के साथ, एक और नियुक्ति, चाहे स्थायी हो या अस्थायी, लेने के लिए नियुक्ति का इस्तीफा, जिसमें पूर्ण या आंशिक रूप से गणना की जाती है, लोक सेवा का इस्तीफा नहीं है।

ऐसे मामलों में जहां दो नियुक्तियों के अलग-अलग स्टेशनों पर होने के कारण सेवा में व्यवधान अपरिहार्य है, ऐसे व्यवधान, जो जुड़ने के अनुमेय समय से अधिक नहीं हैं-यशवंत बनाम हरियाणा राज्य

(एच. एस. सेठी, जे)

स्थानांतरण संबंधी नियमों के तहत, राहत की तारीख को सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी देने या नियम 4.23 के तहत औपचारिक माफी द्वारा उस सीमा तक कवर किया जाएगा, जब तक कि अवधि सरकारी कर्मचारी के कारण छुट्टी के दायरे में नहीं आती है।"

6.) याचिकाकर्ता के इस्तीफे को शिक्षा विभाग में प्रवेश करने के लिए न्यायिक विभाग से राहत के रूप में माना जाना चाहिए था क्योंकि दोनों विभाग राज्य सरकार, अर्थात् हरियाणा राज्य के अंतर्गत आते हैं।इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे पंजाब सिविल सेवा नियम खंड-II के नियम 4.19 (बी) के साथ पठित सेवानिवृत्ति लाभों के लिए न्यायिक विभाग में याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सेवा को 12.9.1981 से 15.01.1987 तक गिनें। इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर सेवानिवृत्ति लाभों के बकाया का निपटान किया जाना चाहिए।"

(10) उक्त आदेश के खिलाफ, प्रतिवादीगण ने 2016 के एल. पी. ए. No.270 को प्राथमिकता दी, जिसे इस न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था।उक्त एल. पी. ए. में भी, प्रतिवादीगण द्वारा यही आधार लिया गया था कि शिक्षा विभाग में आवेदन जमा करते समय, न्यायिक विभाग की कोई अनुमति नहीं ली गई थी और इसलिए, न्यायिक विभाग के साथ प्रदान की गई सेवा को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करते समय योग्यता सेवा के रूप में नहीं लिया जा सकता है।हरियाणा सरकार द्वारा दायर एल. पी. ए. को खारिज करते हुए इस अदालत ने उक्त आपत्ति को खारिज कर दिया था।उसी का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:-

"हरियाणा राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग में एसएस मास्टर के पद के लिए आवेदन करते समय अनुमति नहीं ली थी, इसलिए वह सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करते समय न्यायिक विभाग में अपनी सेवा पर विचार करने का हकदार नहीं है।विवादित आदेश ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है और इसलिए इसे दरकिनार किया जा सकता है।

हमने अपीलार्थी के वकील को सुना है लेकिन कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं हैं।सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए सेवा की अवधि के उद्देश्य से न्यायिक विभाग में प्रदान की गई सेवा को गिनने के निर्देश के लिए प्रतिवादी की प्रार्थना को उचित रूप से अनुमति दी गई है।इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शिक्षा विभाग में एस. एस. मास्टर के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 की नियुक्ति निर्धारित नियम और विनियम के अनुसार की गई थी।

किसी भी स्तर पर उनकी नियुक्ति को नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए अवैध या अनियमित नहीं माना गया था।रोहतक के जिला और सत्र न्यायाधीश ने भी प्रतिवादी नंबर 1 के सेवा छोड़ने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई है।इस प्रकार, न्यायिक विभाग में प्रदान की गई सेवा को सेवा की अवधि के लिए गिना जाने का निर्देश देने वाले विवादित आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।नतीजतन, पंजाब सिविल सेवा नियम के नियम 4.23 के साथ पठित नियम 4.19 (बी) में दिए गए सेवानिवृत्ति लाभों की गणना 12-09-1981 से 15-01-1987 के लिए न्यायिक विभाग में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ देने वाले विवादित आदेश में अपील या त्रुटि में कोई योग्यता नहीं पाते हुए भाग. II, हम अपील को खारिज करते हैं।

(11) प्रतिवादीगण के वकील यह इंगित करने में सक्षम नहीं हैं कि वर्तमान याचिकाकर्ता का मामला ईश्वर सिंह के मामले (उपरोक्त) से किसी भी तरह से अलग कैसे है।एक बार, यह तथ्य की बात है कि याचिकाकर्ता ने उसी राज्य के तहत किसी अन्य विभाग में दूसरे पद पर नियुक्त होने के लिए केवल पिछले पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके इस्तीफे को तकनीकी इस्तीफे के रूप में माना जाना है और तकनीकी इस्तीफे से पिछली सेवा जब्त नहीं होती है, इसलिए, याचिकाकर्ता पेंशन लाभों की गणना करने के लिए योग्यता सेवा के रूप में 10.02.1992 से 02.07.1996 तक प्रदान की गई अपनी सेवा का लाभ पाने का हकदार है।

(12) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति है।प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे पेंशन लाभों के अनुदान के लिए योग्यता सेवा की गणना करते समय याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ 10.02.1992 से 02.07.1996 तक प्रदान करें।

(13) इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के पेंशन लाभों की फिर से गणना की जाए और इस आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता जिस राशि का हकदार हो जाता है, उसका अंतर उसे उसके बाद एक महीने की अवधि के भीतर जारी किया जाए।

(14) उपरोक्त शर्तों में वर्तमान रिट याचिका की अनुमति है।

पायल मेहता

प्रवीण वर्मा

स्पष्टीकरणः– स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके किसी अन्य उददेष्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता हे। सभी व्यवहारिक और अधिकारीक उददेष्यो के लए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कायान्वयन के उददेष्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।